**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**राज्य सभा**

अ**तारांकित प्रश्न संख्या-94**

**जिसका उत्तर** 24 नवंबर**, 2014 को दिया जाना है ।**

**बिजली उत्पादन और वितरण हेतु मानक**

**94. श्री नरेश अग्रवालः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिजली उत्पादन और वितरण के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच क्या-क्या मानक तय हैं;

(ख) केंद्र किन-किन परिस्थितियों में राज्यों को बिजली देता है; और

(ग) राज्यों को बिजली देने के लिए केंद्र की शर्तें क्या होती हैं?

**उत्तर**

**विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (ग) :** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन करने के मानकों का ब्यौरा **अनुबंध** पर है। तदनुसार, केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से लाभग्राही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन दो भागों में किया जाता है। 85% विद्युत निश्चित आबंटन के रूप में आबंटित की जाती है। केंद्र सरकार के अधिकार पर रखी गई, सीजीएस की शेष बची 15% अनाबंटित विद्युत के आबंटन में, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न होने वाली आपातिक स्थितियों, राज्यों की संबंधित विद्युत आपूर्ति स्थिति इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

\*\*\*\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

**राज्य सभा में दिनांक 24.11.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 94 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

केंद्रीय उत्पादक स्टेशनों से लाभग्राही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन विद्युत के आबंटन फार्मूले के अनुसार किया जाता है जिसे अप्रैल, 2000 से दिशा-निर्देशों के रूप में माना जा रहा है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन दो भागों में किया जाता है अर्थात 85% का निश्चित आबंटन तथा तात्कालिक/समग्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आबंटन किए जाने के लिए 15% अनाबंटित विद्युत।

निश्चित आबंटन में, जल विद्युत केंद्रों के मामले में प्रभावित राज्यों को दी जाने वाली 12% निःशुल्क विद्युत तथा स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए 1% विद्युत और ताप एवं नाभिकीय विद्युत स्टेशनों के मामले में गृह राज्य को 10% ( निशुल्क नहीं) विद्युत का आबंटन शामिल है।

शेष विद्युत (हाइड्रो के मामले में 72% तथा ताप एवं नाभिकीय के मामले में 75%) का वितरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्रीय योजना सहायता के पैटर्न तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान ऊर्जा खपत के अनुसार, दोनों कारकों को समान महत्व देते हुए, किया जाता है। केंद्रीय योजना सहायता का निर्धारण गाडगिल फार्मूले के अनुसार किया जाता है जिसमें राज्यों की जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के मामले में, इक्विटी का अंशदान देने वाले राज्य अपने इक्विटी अंशदान के अनुसार निश्चित आबंटन में लाभ प्राप्त करते हैं।

केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत के आबंटन के लिए उपर्युक्त वर्णित दिशा-निर्देश उत्पादन स्टेशनों, जिनके लिए 5 जनवरी, 2011 तक पीपीए पर हस्ताक्षर हुए हैं, और मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के लिए लागू होते हैं। 5 जनवरी, 2011 के पश्चात, वितरण कंपनियों/यूटिलिटियों द्वारा विद्युत का प्रापण प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से किया जाना होता है। एनटीपीसी की 13 नई परियोजनाओं में, केंद्र सरकार ने जनवरी, 2011 में, 'गृह' राज्य को 50% विद्युत का आबंटन करने का 15% अनाबंटित विद्युत भारत सरकार के अधिकार पर रखने का और क्षेत्र के अन्य संघटकों ('गृह' राज्य को छोड़कर) को, विद्युत के आबंटन के मौजूदा दिशा-निर्देशों के आधार पर, केंद्रीय योजना सहायता और क्षेत्र के प्रत्येक राज्य द्वारा विगत 5 वर्षों में की गई ऊर्जा खपत को समान महत्व देते हुए, 35% विद्युत का आबंटन करने का अनुमोदन किया है। सरकार द्वारा जनवरी, 2011 में इसी प्रकार का वितरण नाभिकीय विद्युत निगम की नई परियोजनाओं के संबंध में भी किया गया है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*